संख्या-50/2020/1551/सैंतीस-2-2020-1(13)/2017टीसी।।

प्रेषक,

एन. पी. पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-21 अगस्त, 2020

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-15 के अधीन जेनेटिक इम्प्रूवमेन्ट फार शीप एण्ड गोट (के.60/रा.40-के.+रा.) योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-41/प0-1, दिनांक-10.07.2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रश्नगत योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा पुनर्वैधीकृत केन्द्रांश के सापेक्ष रू0-192.2856 लाख केन्द्रांश में राज्यांश रू0-128.1904 लाख की धनराशि सम्मिलित करते हुए अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक 2403-पशुपालन-106-अन्य पशुधन विकास-02-राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन कार्यक्रम-0205-जेनेटिक इम्प्रूवमेन्ट फार शीप एण्ड गोट (के.60/रा.40-के.+रा.) के अन्तर्गत निम्नलिखित मानक मदों में कुल रू0-320.476 लाख (रूपये तीन करोड़ बीस लाख सैंतालिस हजार छः सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

मानक मद	**स्वीकृत धनराशि (लाख में)**
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	25.400
42-अन्य व्यय	38.826
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	256.250
योग-	**320.476**

(रूपये तीन करोड़ बीस लाख सैंतालिस हजार छः सौ मात्र)

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य-योजना एवं मदों में निर्धारित गाइडलाईन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं जमा किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जायेगा। वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत मितव्ययता विषयक संगत शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स) 2016 एवं विभागीय क्रय नीति का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग यह भी सुनिश्चित करेंगे कि इस हेतु पूर्व में किसी योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद/योजना/कार्यक्रम में व्यय अनुमन्य न होगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक-24.03.2020, 07.04.2020, 11.04.2020 एवं दिनांक-18.05.2020 तथा शासनादेश दिनांक-06.06.1994 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-"2403-पशुपालन-106-अन्य पशुधन विकास-02-राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन कार्यक्रम-0205-जेनेटिक इम्प्रूवमेन्ट फार शीप एण्ड गोट (के.60/रा.40-के.+रा.)" की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-1-626/दस-2020, दिनांक-19.08.2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एन. पी. पाण्डेय)
विशेष सचिव।

<u>पृ0सं0-50/2020/1551(1)/सैंतीस-2-2020- तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. संयुक्त सचिव, पशुपालन एवं दुग्ध विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं दुग्ध मँत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 ।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय-सहायता) अनुभाग।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in